

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 2016/श्रावण 19, 1938

No. 557]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 10, 2016/SRAVANA 19, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2016

सं. 30/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 783(अ).—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2012 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का. नि. 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 40क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 354/78/2009-टीआरयू(भाग)]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 163 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 26/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 26 जुलाई, 2016 सा.का.नि. 728 (अ), तारीख 26 जुलाई, 2016 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th August, 2016

No. 30/2016-Central Excise

G.S.R.783 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2012-Central Excise, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 163(E), dated the 17th March, 2012, namely: -

In the said notification, in the Table, serial number 40A and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 354/78/2009-TRU (Pt.)]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note: The principal notification No. 12/2012-Central Excise, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 163(E), dated the 17th March, 2012 and last amended vide notification No.26/2016-Central Excise, dated the 26th July, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 728 (E) dated the 26th July, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2016

सं. 41/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 784(अ).—केन्द्र सरकार वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेनवट कर नियमावली, 2004 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों को सेनवट कर (9वां संशोधन) नियमावली, 2016 कहा जाए।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशित तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. सेनवट कर नियमावली, 2004, नियम 6, के उप-नियम (6), के खंड (ix) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 354/78/2009-टीआरयू(भाग)]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा.का. नि. संख्या 600(अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के तहत अधिसूचना सं. 23/2004 – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्या 735(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 36/2016- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 26 जुलाई, 2016 के अन्तर्गत अंतिम बार संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2016

No. 41/2016-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 784(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely:-

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Ninth Amendment) Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the CENVAT Credit Rules, 2004, in rule 6, in sub-rule (6), clause (ix) shall be omitted.

[F. No. 354/78/2009-TRU (Pt.)]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, notification No. 23/2004 - Central Excise (N.T.), dated the 10th September, 2004 vide, number G.S.R. 600(E), dated the 10th September, 2004 and last amended, vide, notification No. 36/2016- Central Excise (N.T.), dated the 26th July, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R. 735(E) , dated the 26th July, 2016.